ग्राम सभा की बैठकों बारे कार्यक्रम खण्ड समालखा

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ के पत्र कंमाक 2018/9339–60 दिंनाक 01–02–2018 द्वारा जारी हिदायतों अनुसार दिंनाक अप्रैल माह में ग्रामसभाओं का आयोजन किया जाना है, जिस संबध में खण्ड समालखा के गांवों में ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन निम्न कार्यक्रम अनुसार किया जाना निश्चित है। जिसका विस्तृत एजेण्डा निम्न प्रकार है–

1 पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

2 ग्राम पचांयत की वर्ष के दौरान आय/व्यय तथा कार्यवाही रिपोर्ट पर चर्चा ओर उसका अनुमोदन।

3 जीपीडीपी की अंतिम योजना पर चर्चा तथा अनुमोदन

4 स्वच्छता पर बाल सभाओं का आयोजन

5 पिछले व चालू वित्तीय वर्ष के विकास कार्यों पर चर्चा, स्वच्छता की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा

6 ग्राम पंचायत की उप समिति की बैठक

7 क्लीन ग्रीन विलेज हेतू रोडमैप व ग्राम समृद्वि तैयार करने बारे

8 गांव को कचरा व पोलीथीन मुक्त करने हेतू प्रस्ताव

9 नाटक, फिल्म आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

10 संसाधन समूह द्वारा सोशल आडिट

11 वर्ष 2018–19 हेतू मनरेगा का ड्राफट प्लान तैयार करना व सिटीजन इन्फारमेशन बोर्ड

12 कृषि की नई तकनीकों बारे जागरूकता कार्यक्रम

13 विशेष महिला सभा का आयोजन

14 स्वच्छता के तहत कचुआ खाद पर विचार विमर्श

15 पीएमएवाई के तहत सर्वे सूचि को पास करना , जीपीडीपी , मनरेगा 14वा वित्तायोग व अन्य सरकारी स्कीमों पर विचार विमर्श

16 अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

विभाग द्वारा हिदायतानुसार उक्त ग्रामसभा के आयोजन हेतू निम्नलिखित गतिविधियो आयोजित की जानी है–

1 गांव मे मुनादी के माध्यम से ग्रामसभा के कार्यक्रम का पर्याप्त प्रचार–प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोग ग्राम सभा में भाग ले सके।

2 जिन ग्रावों में ग्राम सचिवालय स्थापित किये हुए है, उन ग्रावों में ग्रामसभा का आयोजन ग्राम सचिवालयों में की जाए।

3 ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक विभाग के ग्राम स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी को उक्त ग्रामसभा के कार्यक्रम में भाग लेने बारे अग्रिम सूचना दी जाए

4 ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही एरिया प्रोफाईलर में अपलोड की जाए।

5 ग्रामसभा की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी करवाई जाए।

6 ग्रामसभा के दौरान ई–पंचायत, मनरेगा, पी0एम0ए0वाई0, एस.बी.एम, ग्रामसचिवालय,14वां वित्तायोग, राज्य वित्त आयोग आदि विकास एवं पंचायत विभाग की स्कीमों, ग्रामीण विकास विभाग की स्कीमों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया जाए।

7 पंचायती राज संस्थाओं के चयनित उम्मीदवारों जैसै संबधित जिला परिषद सदस्यो, पंचायत समिति सदस्यों, ग्राम पंचायत के सदस्यों को ग्रामसभा की सूचना की दी जाए।

ग्राम सभा का कार्यक्रम निम्न प्रकार है'

क0स0	ग्राम पचांयत का नाम	तिथि	समय	स्थान	ग्राम सचिव का नाम	प्रयवेक्षक
1	नरायणा	16-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	कुलदीप	सम्बन्धित गांव से राजकीय स्कूल से प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक
2	बुढ़नपुर	16-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	चन्द्रवीर	
4	डिकाडला	16-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	प्रजापत चौपाल	प्रीतम	
5	पावटी	16-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	सतीश	
6	राक्सेड़ा	16-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	एस0सी0 चौपाल नजदीक बस	नरेन्द्र	
7	चुलकाना	16-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	हवा सिंह	
8	गढ़ी छाज्जु	16-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	जसमीर	

क0स0	ग्राम पचांयत का नाम	तिथि	समय	स्थान	ग्राम सचिव का नाम	प्रयवेक्षक
9	बसाड़ा	17-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	रा0प्रा0 पाठशाला	चन्द्रवीर	सम्बन्धित गांव से राजकीय स्कूल से प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक
10	ढिण्डार	17-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	प्रवीण	
11	बिहौली	17-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	जसमीर	
12	सिम्बलगढ़	17-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	रा0प्रा0 पाठशाला	नरेन्द्र	
13	हथवाला	17-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	कुलदीप	
14	भोड़वाल माजरी	17-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	हवा सिंह	
15	छदिया युसुफपुर	17-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	सतीश	
16	नामुण्डा	17-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	प्रीतम	
17	मछरौली	19-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	जसमीर	
18	बिलासपुर	19-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	कुलदीप	
19	किवाना	19-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	प्रीतम	
20	पट्टीकल्याणा	19-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	हवा सिंह	
21	वजीरपुर टिटाना	19-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	प्रवीण	
22	जौरासी खालसा	19-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	एस0सी0 चौपाल	सतीश	
23	आट्टा	19-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	सामान्य चौपाल	नरेन्द्र	
3	मनाना	20-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	प्रवीण	
24	शहरमालपुर .	20-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	सामान्य चौपाल	जसमीर	
25	करहंस	20-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	कुलदीप	
26	महावटी	20-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	सामान्य चौपाल	हवा सिंह	
27	देहरा	20-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	नरेन्द्र	
28	जौरासी सर्फ खास	20-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	सतीश	
29	गढ़ी त्यागान	20-04-2018	दोपहर 12:00 बजे	रा0प्रा0 पाठशाला	चन्द्रवीर	
30	ढोड़पुर	21-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	हवा सिंह	
31	कारकौली	21-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	कुलदीप	
32	हलदाना	21-04-2018	प्रातः 10:00 बजे	ग्राम सचिवालय	नरेन्द्र	

%/C खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
समालखा।

पृ0कंमाक 45-56 दिंनाक– 6-4-18

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में प्रेषित है–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ।
2 उपायुक्त महोदय, पानीपत।
3 अतिरिक्त उपायुक्त महोदय, पानीपत।
4 जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पानीपत।
5 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, पानीपत की सेवा में भेजकर अनुरोध है कि आप उक्त प्रोग्राम को जिला की वैवसाईट पर अपलोड करने की कृपा करे।
6 सभी कार्यालय अध्यक्ष (लाईन विभाग) जिला पानीपत की सेवा में कार्यकम की प्रति भेजकर अनुरोध है कि अपने विभाग के ग्राम स्तरीय अधिकारी को उक्त ग्रामसभा कार्यकम में भाग लेने बारे निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
7 सभी संबधित जिला परिषद सदस्य/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/समस्त पंचायत समिति सदस्य।
8 उपमण्डल अधिकारी, पंचायती राज, समालखा।

9 खण्ड शिक्षा अधिकारी, समालखा को भेजकर अनुरोध है कि आप उक्त गांवों से प्रयवेक्षक के नाम खण्ड कार्यालय में भिजवाते हुए उनका ग्राम सभा में पहुचना सुनिश्चित करे।

10 इसकी एक प्रति समस्त कर्मचारियों/ ग्रामसचिवों का भेजकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त निश्चित समय/स्थान पर उपस्थित होकर ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करें, तथा ग्राम सभा के फोटो भी वाटस ग्रुप व कार्यालय में प्रस्तुत करें

11 इसकी एक प्रति समस्त सरपंचों/ग्रामसचिवों को भेजकर निर्देश दिए जाते है कि निर्धारित तिथि को गांव में ग्रामसभा का आयोजन करने हेतू आवश्यक प्रबंध करें व विभाग द्वारा जारी हिदायतों/गतिविधियों को मध्यनजर रखते हुए ग्रामसभा का आयोजन करें, तथा अपने अपने गांव में मुनादी मुस्तरी करवायें। व जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष व पंचायत समिति सदस्य को भी चौकीदार के माध्यम से ग्राम सभा की बैठक के बुलवाना सुनिश्चित करें।

12 इसकी एक प्रति ग्राम सचिवालय में बैठने वाले समस्त वीएलई खण्ड समालखा को भेजकर निर्देश दिए जाते है कि आप उक्त प्रोग्राम का ईन्दाज ई-पंचायत प्रणाली के लिए निर्धारित साफ्टवेयर में करना सुनिश्चित करे तथा की गई कार्यवाही की लिखित रिपोर्ट खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करे।

इस विषय में किसी प्रकार की कोताही व लापरवाही के लिये आप स्वंय जिम्मेवार होंगें।

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
समालखा।